भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2991
(दिनांक 19.03.2025 को उत्तर देने के लिए)

अतिरिक्त पेंशन लाभ हेतु पात्रता आयु

2991. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:
श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अतिरिक्त पेंशन लाभ हेतु पात्रता आयु 80 वर्ष निर्धारित करने का औचित्य क्या है;
(ख) क्या सरकार पेंशनभोगियों की शिकायतों संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार इस आयु सीमा को घटाकर 65 वर्ष करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) अतिरिक्त पेंशन योजना से केंद्रीय सरकार के कितने पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की संभावना है और इस योजना के अंतर्गत कितना वार्षिक व्यय होने का अनुमान है;
(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं कि पेंशनभोगियों को उनके अतिरिक्त पेंशन लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से प्राप्त हों और भुगतान प्रक्रिया में कोई विलंब अथवा विसंगति न हो;
(ङ) क्या सरकार राज्य सरकार के पेंशनभोगियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की अन्य श्रेणियों को अतिरिक्त पेंशन लाभ देने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो यह लाभ कब तक प्रदान किया जाएगा; और
(च) अतिरिक्त पेंशन लाभ मुद्रास्फीति के अनुरूप देने और लाभ को बढ़ती जीवन लागत के अनुरूप प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा तंत्र संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (च) : सरकार ने छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 20%, 85 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 30%, 90 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 40%, 95 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 50% और 100 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 100% की अतिरिक्त पेंशन की मात्रा को मंजूरी दी है, इस औचित्य पर कि वयोवृद्ध पेंशनभोगी अधिक धनराशि की अपेक्षा करते हैं क्योंकि आयु के साथ उनकी आवश्यकताएं, विशेषत: स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। संसदीय स्थायी समिति द्वारा दिनांक 10.12.2021 की अपनी 110$^{वीं}$ रिपोर्ट में अतिरिक्त पेंशन में संशोधन करने के लिए की गई सिफारिश, के संबंध में सरकार द्वारा विधिवत जांच की गई और 06.06.2022 को अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। संसदीय स्थायी समिति ने दिनांक 08.12.2022 की अपनी 120$^{वीं}$ रिपोर्ट में अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट को नोट किया और कहा कि समिति फिलहाल इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। अतिरिक्त पेंशन जैसे ही देय होती है, पेंशन संवितरण प्राधिकारियों/बैंकों द्वारा पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी को उसका स्वत: भुगतान कर दिया जाता है। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों/दिशा-निर्देशों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि अतिरिक्त पेंशन का न्यायसंगत और समय पर भुगतान हो। अतिरिक्त पेंशन की मंजूरी केवल आयु पर आधारित है। मुद्रास्फीति और रहन-सहन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए, पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते के समतुल्य महंगाई राहत ऐसी दर पर देय है जो दर केंद्र सरकार समय-समय पर विनिदष्ट करे। महंगाई राहत अतिरिक्त पेंशन पर भी लागू होती है।

******